<u>न्यायालय:— मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला—बालोद, (छ.ग.)</u> (पीठासीन अधिकारी:— संजय जायसवाल)

क्लेम केस नं.:- 3 / 2016. <u>संस्थित दिनांक :-11-1-2016.</u>

- श्रीमती रूख्मणी देशमुख पति स्व. राजेशकुमार देशमुख, उम्र 36 वर्ष.
- रोमनलाल देशमुख पिता स्व. दयाराम देशमुख, उम्र–65 वर्ष, जाति–कुर्मी, निवासी– ग्राम खर्रा, थाना / तहसील गुंडरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.)

/ / विरूध्द / /

- मलेश कुमार ठाकुर पिता बस्तीराम ठाकुर, उम्र–45 वर्ष, निवासी– ग्राम कचान्दुर, थाना / तहसील गुंडरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.)
- नागेश्वर प्रसाद चंद्राकर पिता बालमुकुंद चंद्राकर, उम्र–35 वर्ष, निवासी– ग्राम कचान्दुर, थाना / तहसील गुंडरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.),
- यूनाइटेड इं. इंश्योरेंस कंपनी लिमि0,
 व्दारा–शाखा कार्यालय तारा कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड,
 पावर हाउस भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) ———<u>अनावेदकगण</u>.

ः <u>अधिनिर्णय</u>ः (दिनांक 24–9–2016 को पारित)

01. धारा 166 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रस्तुत इस दावा आवेदन में दिनांक 13—11—2015 को मोटरसायकिल हीरोहोंडा क्रमांक —सी0जी0—07ए.बी. 0870 से हुई दुर्घटना में आई चोट के फलस्वरूप प्रीतेश उर्फ पिंकू देशमुख की हुई मृत्यु बाबत् प्रतिकर राशि की मांग आवेदकगण ने कमशः उसकी माता एवं दादा के रूप में की है, जिसमें आगे उक्त वाहन को

दोषी वाहन से सम्बोधित किया जा रहा है।

- 02. यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदकगण क्रमशः उक्त दोषी वाहन के चालक, पंजीकृत स्वामी तथा बीमाकर्ता हैं ।
- दावा आवेदन संक्षेप में इस आशय का है कि दिनांक 03. 13-11-2015 को प्रीतेश उर्फ पिंकू देशमुख अपने दोस्त जागेश्वर के मोटरसायकिल में प्रवीण के साथ तीनों सवार होकर पुस्तक खरीदने गुंडरदेही आ रहे थे और मोटरसायकिल रास्ते में पंक्चर हो जाने से प्रीतेश उर्फ पिंकू पैदल जा रहा था । तब गुंडरदेही में संतोष पेट्रोल पंप के पास अनावेदक क्रमांक-1 मलेश कुमार ठाकुर दोषी वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते आकर उसे ठोकर मार दिया, जिससे सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही प्रीतेश उर्फ पिंकू की मृत्यु हो गई । इस पर थाना गुंडरदेही व्दारा अपराध कुमांक 421/15 की कायमी कर न्यायालय में चालान पेश किया गया । आगे दावा आवेदन इस आशय का है कि प्रीतेश उर्फ पिंकू देशमुख 17 वर्षीय स्वस्थ व मेहनती युवक था, जो अपने दादा आवेदक रोमनलाल देशमुख के किराना दुकान में उनके साथ मिलकर व्यवसाय कर 5,000 / - रूपये मासिक आय अर्जित कर लेता था, जिसकी आकरिमक मृत्यू से आवेदकगण उसके प्रेम, रनेह और सहयोग तथा आय से वंचित हो गये हैं । अतः विभिन्न मदों में क्षति की गणना करते हुए कुल 14,50,000 / - रूपये प्रतिकर राशि मय ब्याज तथा वादव्यय के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।
- 04. अनावेदक कमांक—1 व 2 ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये इस आशय का संयुक्त जवाबदावा पेश किये हैं कि उनके दोषी वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि मलेश कुमार दोषी वाहन को धीमी गति से सावधानीपूर्वक चलाते हुये कचान्दुर से गुंडरदेही जा

रहा था तब संतोष पेद्रोल पंप के मोड़ के पास प्रीतेश उर्फ पिंकू अपने वाहन को ढकेलते हुये जा रहा था । रात 8.00 बजे का समय होने से गुंडरदेही से दुर्ग की ओर जा रही द्रक के लाईट की तेज रोशनी प्रीतेश उर्फ पिंकू की आंख में पड़ने से वह हड़बड़ाकर स्वयं अपने गलती से टकराकर गिर गया । इस प्रकार उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिये उनका कोई दायित्व नहीं बनता और यदि आवेदक पक्ष को प्रतिकर दिलाया जाना उचित पाया जाता है तो दोषी वाहन अनावेदक कमांक—3 व्दारा बीमित रही है, इसलिये संपूर्ण उत्तरदायित्व अनावेदक कमांक—3 का बनता है, इसलिये उनके विरुध्द दावा आवेदन खारिज किया जाये ।

05. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये इस आशय का जवाबदावा पेश किया है कि बीमा पॉलिसी की प्रमुख शर्तों में वाहन का प्रयोग वैध परिमट, फिटनेस और वैध झ्रायव्हिंग लायसेंस के तहत ही किया जाना चाहिये, जिसके उल्लंघन से बीमा शर्तों का भंग होता है और बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है । अतः उनके विरूध्द दावा आवेदन खारिज किया जाये । तर्क के दौरान अनावेदक क्रमांक—3 ने दोषी वाहन का बीमित होना स्वीकार किया है ।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्न की रचना की गई है, जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत दिये जा रहे हैं :--

季0	वाद प्रश्न	<u>निष्कर्ष</u>
	क्या घटना दिनांक 13—11—2015 को अनावेदक कमांक—1 मोटरसायकिल कमांक— सी.जी.—07ए.बी. —0870 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मेनरोड गुंडरदेही संतोष पेद्रोल पंप के पास प्रीतेश उर्फ पिंकू देशमुख को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई ?	